

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022—आषाढ़ 31, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती बलजीत कौर चाना पल्ली बलवीर सिंह चाना, निवासी-राधा स्वामी सत्यंग भवन, पोस्ट ऑफिस-हाथीताल, गुप्तेश्वर, जबलपुर, मध्यप्रदेश हैं। यह कि जमीन विक्रय पत्र 24 मई 1979 को श्रीमती बलजीत कौर का नाम की जगह उनके बचपन का नाम बेअंत कौर पल्ली श्री बलवीर सिंह, निवासी-मदनमहल जबलपुर लिखा गया है जबकि मेरा नाम उसमें बलजीत कौर चाना लिखा जाना था। मेरा सही और पूरा नाम बलजीत कौर चाना है और अब भविष्य में मुझे बलजीत कौर चाना के नाम से ही जाना, पहचाना, पढ़ा और लिखा जावे।

पुराना नाम
(बेअंत कौर)

(G-1283)

नया नाम
(बलजीत कौर चाना)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र राज यादव के स्कूल चमेली देवी पब्लिक स्कूल के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम प्रियांशी यादव (PRIYANSHI YADAV) लिखा गया है जिसे बदलकर संगीता (SANGEETA YADAV) कर लिया है। अतः मेरे पुत्र के स्कूल अभिलेख में माता का नाम संगीता यादव (SANGEETA YADAV) पढ़ा जावे। सो विदित होवे।

पुराना नाम
(प्रियांशी यादव)

(G-1284)

नया नाम
(संगीता यादव)

169, एनएक्स, विष्णुपुरी, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम दीपक अग्रवाल (DEEPAK AGRAWAL) जो शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों जैसे-आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक में दीपक गर्ग (DEEPAK GARG) दर्ज है, इस प्रकार मैंने अपने पुराने नाम के स्थान पर नया नाम दीपक गर्ग (DEEPAK GARG) ग्रहण कर लिया है, सो मुझे मेरे परिचित, रिशेदार, समाजजन, नये परिवर्तित नाम दीपक गर्ग (DEEPAK GARG) के नाम से जाने, पहचाने व पुकारें।

पुराना नाम
(दीपक अग्रवाल)

(G-1285)

नया नाम
(दीपक गर्ग)
पिता श्री रामेश्वर लाल गर्ग
निवासी-मकान नम्बर 8, महात्मा गांधी मार्ग,
होली चौक बघाना, नीमच (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम हरीनारायण गुप्ता आत्मज श्री गोवर्धन दास गुप्ता, निवासी-डी-28, नेहरू नगर, भोपाल है। मेरे द्वारा खरीदी गए शेयर प्रमाण-पत्र में हरीनारायण लिखा है। मैं, हरीनारायण गुप्ता के नाम से ही जाना, पहचाना जाता हूं, मेरा आधार कार्ड, पेन कार्ड सभी उक्त नाम पर हैं। अतः मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम
(हरीनारायण)

(G-1286)

नया नाम
(हरीनारायण गुप्ता)

नाम परिवर्तन

मैं, शुभांशु टैगोर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरा नाम पूर्व में शुभांशु जाटव था जाटव मेरा गोत्र होने के कारण लिखा गया था जो मेरे बीमा पॉलिसीयों में भी शुभांशु जाटव लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मेरा सरनेम टैगोर होने से मेरा नाम शुभांशु टैगोर हो गया है। और सभी मुझे शुभांशु टैगोर के नाम से जानते, पहचानते एवं पुकारते हैं एवं मेरे सभी प्रपत्र जैसे-जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं इत्यादि में लिखा गया है शुभांशु जाटव एवं शुभांशु टैगोर दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी बीमा पॉलिसीयों में मेरा नाम शुभांशु जाटव के स्थान पर शुभांशु टैगोर लिखा एवं पढ़ा जावे आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम
(शुभांशु जाटव)

(G-1287)

नया नाम
(शुभांशु टैगोर)

पता-185, सांई कृपा कॉलोनी, विजय नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

नाम परिवर्तन

मैं, आकांक्षा टैगोर पुत्री श्री जगदीश प्रसाद सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा नाम पूर्व में आकांक्षा जाटव था, जाटव मेरा गोत्र होने के कारण लिखा गया था जो मेरे बीमा पॉलिसीयों में भी आकांक्षा जाटव लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मेरा सरनेम टैगोर होने से मेरा नाम आकांक्षा टैगोर हो गया है। और सभी मुझे आकांक्षा टैगोर के नाम से जानते, पहचानते एवं पुकारते हैं एवं मेरे सभी प्रपत्र जैसे-जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं इत्यादि में लिखा गया है आकांक्षा जाटव एवं आकांक्षा टैगोर दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी बीमा पॉलिसीयों में मेरा नाम आकांक्षा जाटव के स्थान पर आकांक्षा टैगोर लिखा एवं पढ़ा जावे आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम
(आकांक्षा जाटव)

(G-1288)

नया नाम
(आकांक्षा टैगोर)

पता-185, सांई कृपा कॉलोनी, विजय नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश।

नाम परिवर्तन

मैं, अमन टैगोर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम पूर्व में अमन जाटव था जाटव मेरा गोत्र होने के कारण लिखा गया था जो मेरे बीमा पॉलिसियों में भी अमन जाटव लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मेरा सरनेम टैगोर होने से मेरा नाम अमन टैगोर हो गया है और सभी मुझे अमन टैगोर के नाम से जानते, पहचानते एवं पुकारते हैं एवं मेरे सभी प्रपत्र जैसे-जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं इत्यादि में लिखा गया है अमन जाटव एवं अमन टैगोर दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम अमन जाटव के स्थान पर अमन टैगोर लिखा एवं पढ़ा जावे, आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम
(अमन जाटव)

नया नाम
(अमन टैगोर)

पता:—185, साईं कृष्ण कॉलोनी, विजय नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(G 1289)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि त्रुटिवश स्कूल एवं कॉलेज की मार्कशीट आदि में मेरा नाम अंकित भिण्डे पिता दुरसिंह भिण्डे एवं माता का नाम नानली भिण्डे हो गया है। मेरा नाम शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र एवं राशन कार्ड अन्य में राठवा अंकितभाई दरसींगभाई है तथा माता का नाम राठवा नानलीबेन है और मैं राठवा अंकितभाई दरसींगभाई एवं माता का नाम राठवा नानलीबेन के नाम से ही जाना व पहचाना जाता हूँ।

पुराना नाम
(अंकित भिण्डे पिता दुरसिंह भिण्डे)

नया नाम
(राठवा अंकितभाई पिता राठवा दरसींगभाई)

C/o रमणसिंह सोलंकी, एडवोकेट
45/3, भगतसिंह मार्ग, आलीराजपुर, जिला आलीराजपुर (म. प्र.).

(G 1290)

नाम परिवर्तन

यह कि मुझे शपथकर्ता का वर्तमान में नाम प्रवेश राजपूत पुत्र श्री कुमेर सिंह राजपूत है, अब, मैं, अपना नाम परिवर्तन कर पदम सिंह पुत्र स्व. श्री होतम सिंह सभी शासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में करना चाहता हूँ। यह कि अब भविष्य में मुझे पदम सिंह पुत्र स्व. श्री होतम सिंह के नाम से जाना, पहचाना जायेगा।

पुराना नाम
(प्रवेश राजपूत)
पिता—कुमेर सिंह राजपूत

नया नाम
(पदम सिंह)
पिता—स्व. श्री होतम सिंह

(G 1291)

नाम परिवर्तन

मैं, किरण बंशीवाल माहेश्वरी पत्नी महेश माहेश्वरी, निवासी-एफ-48, द्वारकाधाम कैपस, करोंद बायपास, संजीव नगर के सामने, भोपाल, मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शिक्षा संबंधी, शासकीय एवम् अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम किरण बंशीवाल (विवाह पूर्व) किरण मेहोलिया/माहेश्वरी अंकित है। मेहोलिया एवम् माहेश्वरी मेरे सुसाराल के उपनाम हैं।

यह कि भविष्य में मेरे नाम को लेकर कोई भ्रांति उत्पन्न न हो इसलिए अब भविष्य में मैं, हमेशा अपना पूर्ण नाम किरण बंशीवाल माहेश्वरी का ही उपयोग करूँगी एवम् भविष्य में शासकीय, अशासकीय, सर्विस दस्तावेजों में मुझे किरण बंशीवाल माहेश्वरी (KIRAN BANSHWAL MAHESHWARI) के पूरे नाम से जाना, पहचाना जाए।

पुराना नाम
(किरण बंशीवाल/किरण मेहोलिया/किरण माहेश्वरी)
(KIRAN BANSHWAL/KIRANMEHOLIYA/
KIRAN MAHESHWARI)

नया नाम
(किरण बंशीवाल माहेश्वरी)
(KIRAN BANSHWAL MAHESHWARI)

(G 1292)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड एवम् जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम उत्सव मेहोलिया पुत्र महेश माहेश्वरी एवम् किरण मेहोलिया अंकित है। त्रुटिवश उपनाम माहेश्वरी अंकित नहीं हो पाया है।

यह कि भविष्य में उसके नाम को लेकर कोई भ्रांति उत्पन्न न हो इसलिए यह तय किया गया है कि अब भविष्य में उसको उसके पूरे नाम एवम् उपनाम सहित उत्सव मेहोलिया माहेश्वरी पुत्र महेश माहेश्वरी एवम् किरण मेहोलिया माहेश्वरी के अनुसार संव्यवहार किया जाए।

पुराना नाम
(उत्सव मेहोलिया)
(UTSAV MEHOLIYA)

नया नाम
(उत्सव मेहोलिया माहेश्वरी)
(UTSAV MEHOLIYA MAHESHWARI)

प्रार्थी
(महेश माहेश्वरी एवम् किरण मेहोलिया माहेश्वरी)
माता एवम् पिता
निवासी-एफ 48, द्वारकाधाम केंपस, करोंद बायपास
संजीव नगर के सामने, भोपाल, मध्यप्रदेश।

(G 1293)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड एवम् जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम उत्कर्ष मेहोलिया पुत्र महेश माहेश्वरी एवम् किरण मेहोलिया अंकित है। त्रुटिवश उपनाम माहेश्वरी अंकित नहीं हो पाया है।

यह कि भविष्य में उसके नाम को लेकर कोई भ्रांति उत्पन्न न हो इसलिए यह तय किया गया है कि अब भविष्य में उसको उसके पूरे नाम एवम् उपनाम सहित उत्कर्ष मेहोलिया माहेश्वरी पुत्र महेश माहेश्वरी एवम् किरण मेहोलिया माहेश्वरी के अनुसार संव्यवहार किया जाए।

पुराना नाम
(उत्कर्ष मेहोलिया)
(UTKARSH MEHOLIYA)

नया नाम
(उत्कर्ष मेहोलिया माहेश्वरी)
(UTKARSH MEHOLIYA MAHESHWARI)

प्रार्थी
(महेश माहेश्वरी एवम् किरण मेहोलिया माहेश्वरी)
माता एवम् पिता
निवासी-एफ 48, द्वारकाधाम केंपस, करोंद बायपास,
संजीव नगर के सामने, भोपाल, मध्यप्रदेश।

(G 1294)

नाम परिवर्तन

मैं, श्वेता सिंह पत्नि श्री सुखलाल ठाकुर, निवासी-जी-6, पैलेस आर्चेड, अमरनाथ गेट के पास, फेस-2, कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.) की हूं। यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम भूरी दांगी पुत्री शेरसिंह दांगी दर्ज है एवं विवाह पश्चात् मेरा नाम-श्वेता सिंह पत्नि श्री सुखलाल ठाकुर हो गया है। जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम भूरी दांगी पुत्री शेरसिंह दांगी दर्ज है। उसके स्थान पर श्वेता सिंह पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम
(भूरी दांगी पुत्री शेरसिंह दांगी)
(G 1295)

नया नाम
(श्वेता सिंह पत्नि श्री सुखलाल ठाकुर)

नाम परिवर्तन

मैं, ममता देवी राय (Mamta Devi Rai) पति श्री संतोष राय, उम्र 38 वर्ष, निवासी-म. नं. ई-5, ई-6, स्टार पार्क शातब्दीपुरम, विजय नगर, वार्ड नं. 21, लमती, जिला जबलपुर (म. प्र.) मैं उपरोक्त वर्णित पते पर निवास करती हूं मेरे शासकीय/अर्धशासकीय शिक्षा, आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचय-पत्र इत्यादि में मेरा नाम ममता देवी राय दर्ज है एवं मैं अपने सभी रिकार्डों में अपना नाम ममता राय दर्ज कराना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि भविष्य में मेरे जो सभी दस्तावेज हों उनमें मेरा नाम ममता राय दर्ज किया जाये। अतः मेरे अन्य रिकार्डों में भी मेरा नाम ममता देवी राय के स्थान पर ममता राय लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(ममता देवी राय)

नया नाम
(ममता राय)
पता-म. नं. ई-5, ई-6, स्टार पार्क
शातब्दीपुरम,
विजय नगर, वार्ड नं. 21, लमती, जिला जबलपुर (म. प्र.)

(G 1296)

CHANGE OF NAME

I, Asha Devi is legally wedded spouse of 15339683A Rank HAV Name-Rajesh Kumar presently residing at Village-Simbal Khola, P. O.-Tikkar, Teh-Palampur, Distt-JK, State-Himachal Pradesh, PIN-176087 do hereby solemnly affirm and State on oath as follows.

(a) That I have changed my name from ABHA Devi to ASHA Devi due to difference of

My name in Civil Record and Army Record of my husband.

पुराना नाम
(आभा देवी)

नया नाम
(आशा देवी)

(G 1297)

नाम परिवर्तन

मैं, रंजीता कौर सगू आत्मजा शमशेर सिंह सगू 1932 नागपुर रोड, मदन महल, जिला जबलपुर का सही व वास्तविक नाम रंजीता कौर सगू है एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, चुनाव परिचय-पत्र में मेरा सही नाम दर्ज है किन्तु मेरे मार्कशीट इत्यादि कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश रंजीत कौर सगू दर्ज हो गया है। अतः जहां-जहां शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में रंजीत कौर सगू दर्ज है उसे परिवर्तित करते हुए उसके स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम रंजीता कौर सगू, पढ़ा, लिखा, समझा एवं जाना, पहचाना तथा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(रंजीत कौर सगू)

नया नाम
(रंजीता कौर सगू)

(G 1298)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जय मॉ भगवती ट्रांसपोर्ट कम्पनी, वार्ड क्रमांक 09, कोठी चौराहा, यश पैलेश के पास, पुराना मेला ग्राउण्ड नौगाँव, तहसील नौगाँव, जिला-छतरपुर (म. प्र.) पंजीयन क्र. 06/12/03/0047/17, पंजीयन दिनांक 14-06-2017 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें ज्ञानेन्द्र कुमार पाण्डेय, अभिषेक साहू, अखिलेश सक्सेना, सुशील कुमार तिवारी भागीदार थे और दिनांक 01-04-2020 को अभिषेक साहू, ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और दिनांक 01-04-2020 को प्रमोद कुमार राय, रोहन भंडारी, हिमांशु पाण्डेय फर्म में शामिल हो गए हैं। आज दिनांक 01-04-2020 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं ज्ञानेन्द्र कुमार पाण्डेय, अखिलेश सक्सेना, सुशील कुमार तिवारी, प्रमोद कुमार राय, रोहन भंडारी, हिमांशु पाण्डेय।

(ज्ञानेन्द्र कुमार पाण्डेय)

भागीदार

मेसर्स-जय मॉ भगवती ट्रांसपोर्ट कम्पनी।

(G 1299)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस. आर. पी. इंटरप्राइजेज, दुकान नं. 62, मोटे के हनुमान जी के सामने ऊपरी मंजिल, छतरपुर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 06/12/01/0123/20, पंजीयन दिनांक 13 मार्च 2020 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें श्याम खरे, प्रतीक खरे, अक्षय अग्रवाल भागीदार थे और दिनांक 2 सितम्बर 2020 को श्याम खरे, ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 3 सितम्बर 2020 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं प्रतीक खरे, अक्षय अग्रवाल एवं आज दिनांक 3 सितम्बर 2020 को कार्यालय का स्थानांतरण हो गया है तो आज दिनांक 3 सितम्बर 2020 से वार्ड क्र. 30, गली नं. 02, आई. सी. आई. सी. आई. बैंक के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर (मध्यप्रदेश) पर कार्यालय स्थित हो गया है।

(प्रतीक खरे)

भागीदार

मेसर्स-एस. आर. पी. इंटरप्राइजेज.

(G-1300)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मंगलम स्टोन क्रेशर, ग्राम खरोही, वार्ड क्र. 01, खजुराहो, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 06/12/01/0048/15, पंजीयन दिनांक 29 जुलाई 2015 को गठित होकर पंजीयत हुई और संशोधित दिनांक 10 जुलाई 2019 को जिसमें अजय सिंह पायक, राजू द्विवेदी, श्रीमति निधि तिवारी भागीदार थे और दिनांक 23 मार्च 2022 को अजय सिंह पायक ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 23 मार्च 2022 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं राजू द्विवेदी, श्रीमति निधि तिवारी।

(राजू द्विवेदी)

भागीदार

मेसर्स-मंगलम स्टोन क्रेशर

(G-1301)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रुचि डेवलपर्स, 251 एकेन्यू, आगर रोड, उज्जैन फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 07/33/1/0113/21 जिसके भागीदार संजय खंडेलवाल पिता श्री मनोहरलाल खंडेलवाल एवं हबीब हुसैन कनवासवाला पिता श्री शेख सैफुद्दीन कनवासवाला तथा अश्वन कासलीवाल पिता श्री महेंद्र कुमार जैन एवं मोहम्मद रईस खान पिता श्री जुम्मा खान हैं इस फर्म में दिनांक 14 दिसम्बर 2021 को नया पार्टनर श्रीमति रुचि कासलीवाल पति श्री अश्वन कासलीवाल को जोड़ा गया है तथा अश्वन कासलीवाल पिता श्री महेंद्र कुमार जैन को फर्म से बाहर कर दिया है।

और अब इस फर्म में चार पार्टनर रहेंगे:—

1. संजय खंडेलवाल पिता श्री मनोहरलाल खंडेलवाल
2. हबीब हुसैन कनवासवाला पिता श्री शेख सैफुद्दीन कनवासवाला
3. मोहम्मद रईस खान पिता श्री जुम्मा खान
4. रुचि कासलीवाल पति श्री अश्वन कासलीवाल

मेसर्स रुचि डेवलपर्स

(G-1302)

कार्यालय, पंजीयक एवं लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोठीमहल, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-0003-बी-113-2022-23-468

उज्जैन, दिनांक 11 जुलाई 2022

प्रारूप चार
(नियम-5) 1 (देखिए)
सूचना पत्र

मध्य प्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1959(1951 का 30) की धारा की उपलब्ध (2) मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए।

पंजीयक,
लोकन्यास,
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक उशंकर चैरिटेबल एण्ड शैक्षणिक ट्रस्ट , निवासी जेएमआईजी-10 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिवाजी नगर , 470001 तिलीग्राम सागर वर्तमान निवासी सरकारी क्वाटर नंबर ई-05 उदयन मार्ग उज्जैन म.प्र. ने लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 (की धारा-4 के अधीन अनुसूची मे लोक न्यास की तरह सार्वजनिक, नारमार्थिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट के रूप मे पंजीयन हेतु आवेदन किया है । एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय मे दिनांक 11.07.2022 को प्रातः 11 बजे स्थान कोठी पेलैस उज्जैन का विचार के लिये लिया गया ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति मे हित रखता हो और उसके बारे मे की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है ।

अतः मे पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय मे दिनांक 11.07.2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 1 द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमे हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों मे लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट मे मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा ।

अनुसूची:-

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:- आवेदक उशंकर चैरिटेबल एण्ड शैक्षणिक ट्रस्ट , निवासी जेएमआईजी-10 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिवाजी नगर , 470001 तिलीग्राम सागर वर्तमान निवासी सरकारी क्वाटर नंबर ई-05 उदयन मार्ग उज्जैन

कार्यालय:- सरकारी क्वाटर नंबर ई-05 उदयन मार्ग उज्जैन

अचल संपत्ति :- भिरक

चल संपत्ति:- 5100

जगदीश मेहरा, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र.—1353—प्रवा—01—2022

रायसेन, दिनांक 15 जुलाई 2022

(प्रारूप 3 नियम 4 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट)

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास रायसेन (म0प्र0)

प्रकरण क्र0—...../2022

सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा वार्ड न0—02 रायसेन द्वारा
सचिव कैलाश सेन अधिवक्ता पुत्र श्री हरप्रसाद सेन आयु 53
वर्ष निवासी वार्ड न0—05 रामपुर हनुमान मंदिर के पास
रायसेन, तहसील व जिला रायसेन.....आवेदक

विरुद्ध

सर्वसाधारण द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष रायसेन जिला रायसेन
म0प्र0अनावेदक

लोक न्यास पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार

लोक न्यास के मामले में न्यास का नाम व पता:-

सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडी पुरा ट्रस्ट रायसेन, तहसील व जिला रायसेन म0प्र0

1— मैं कैलाश सेन अधिवक्ता पुत्र हरप्रसाद सेन आयु 53 वर्ष ट्रस्टीसदस्य/सचिव, सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा ट्रस्ट रायसेन का होकरे उपरोक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

2— मैं श्री कैलाश सेन सचिव सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा ट्रस्ट का होकर निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

(एक) — लोक ट्रस्ट की उत्पत्ति स्वरूप एवं उद्देश्य :— सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा ट्रस्ट रायसेन कई वर्षों से स्थापित किया गया हैं, सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा द्वारा उत्पत्ति स्वरूप एवं उद्देशों के संबंध में पृथक से नियम व संविधान बनाया गया हैं, जो अवलोकन हेतु संलग्न है।

(दो) — लोक ट्रस्ट कार्यालय का पता :— सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा ट्रस्ट रायसेन, तहसील व जिला रायसेन म0प्र0 ।

(तीन) — ट्रस्टी सदस्यों, कार्यकारिणी, प्रबंधक, व्यवस्थापक के नाम पद व उनके पते:—

- 1—श्री राजीव तिवारी — अध्यक्ष रायसेन
- 2—श्री कैलाश सेन अधिवक्ता — सचिव रायसेन
- 3—गणेश कुशवाह — सहसचिव रायसेन
- 4—राकेश सैनी — उपाध्यक्ष रायसेन
- 5—आशीष अग्रवाल — कोषाध्यक्ष रायसेन

6—रविशंकर यादव —	व्यवस्थापक रायसेन
7—संजय सक्सेना—	सदस्य रायसेन
8—मनोज यादव —	सदस्य रायसेन
9—शिवजीत राठौर—	सदस्य रायसेन
10—राजेन्द्रसिंह ठाकुर —	सदस्य रायसेन
11—कैलाश सैनी —	सदस्य रायसेन
12—जीतेन्द्र चतुर्वेदी —	सदस्य रायसेन
13—मनोज कुशवाह —	सदस्य रायसेन
14—ओम चौरसिया —	सदस्य रायसेन
15 —रामबाबू शाक्या —	सदस्य रायसेन

(चार)– द्रस्टी सदस्यों कार्यकारिणी सदस्यों व्यवस्थापक/प्रबंधक की रिक्तपूर्ति वावत् रीति –अध्यक्ष श्री राजीव तिवारी जी के द्वारा मनोनित किये गये सदस्य होगे एवं अध्यक्ष को अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। एवं अन्य कार्य हेतु संविधान के नियमों के अनुसार कार्य किया जावेगा।

(पाँच)–द्रस्ट को सृजित करने वाली लिखापढ़ी का विवरण :— सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा द्रस्ट रायसेन की बैठक दिनांक 04 / 07 / 2022 को आहूत की गई जिसमें द्रस्ट के पंजीयन की कार्यवाही सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव की छाया प्रति अवलोकन हेतु संलग्न हैं ।

(छ)) –द्रस्ट संबंधित योजना सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रस्ताव के संबंध में सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा रायसेन का संचालन किया जा रहा हैं, जिसकी देखरेख न्यास द्वारा समय –समय पर प्रबंध किया जाता रहेगा, एवं संविधान के अनुसार व्यवस्था करने का अधिकार द्रस्ट का होगा।

(सात)– सम्पत्ति का विवरण जो न्यास के पास है:- स्वयं के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि पर मंदिर हैं, जिसके स्वत्व के दस्तावेज सूची अनुसार प्रस्तुत हैं।

(आठ)– न्यास की आय के साधन :— सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा द्रस्ट रायसेन द्वारा निर्मित मंदिर से दान आदि से प्राप्त आय से व्यवस्था की जाती है।

अनुमानित आय—व्यय

वार्षिक औसत आय 10,000/-रुपये

दान आदि से प्राप्त 10,000/-रुपये

वार्षिक औसत व्यय 20,000/-रुपये

(नौ)– अभियुक्तियों यदि कोई हो नवीन संशोधन द्वारा न्याय शुल्क एवं अन्य प्रोसेस वावत् शुल्क 100/-रूपये रसीद कमांक 5.8.I.N ०००६१५९००२९१४०७२०२२०५७५३ दिनांक १५।७।२०२२ को अदा किया । जो संलग्न है।

(दस)– ट्रस्ट से संबंधित कोई सूचना व न्यायधारी को निम्न पते पर प्रेषित की जावे:— सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बावडीपुरा वार्ड न०-०२ रायसेन, पोस्ट रायसेन, थाना रायसेन, तहसील व जिला रायसेन म०प्र०।

(यारह)– घोषणा ट्रस्टी सदस्य द्वारा की गई घोषणा पत्र :—

घोषणा

मैं कैलाश सेन अधिवक्ता आ० श्री हरप्रसाद सेन आयु लगभग 53 वर्ष निवासी वार्ड न०-०४ रायसेन, तहसील व जिला रायसेन म०प्र० न्यास के पंजीयन वावत् घोषणा करता हूँ कि, उक्त वर्णित न्यास से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं शासकीय अभिलेखों तथा मेरे विश्वास से सत्य व सही है। आज दिनांक तक उक्त ट्रस्ट के संबंध में कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है। और न ही कोई आवेदन पत्र निरस्त हुआ।

 कैलाश सेन १५।
न्यासधारी के हस्ताक्षर


प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से वित्रम निवेदन है कि, ट्रस्ट के पंजीयन के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

 आवेदक

सत्यापन

मैं कैलाश सेन अधिवक्ता आ० श्री हरप्रसाद सेन आयु लगभग 53 वर्ष निवासी वार्ड न०-०४ रायसेन, तहसील व जिला रायसेन म०प्र० का होकर शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि, आवेदन पत्र में वर्णित पद क०-१ लगायत 11 में दी गई जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास से सत्य व सही है, सत्यापन वेरे द्वारा आज दिनांक को स्थान रायसेन में किया गया।

 न्यासधारी के हस्ताक्षर

नोट:— दस्तावेज सूची पृथक से है।

(G-1304)

एल. के. खरे, अनुविभागीय अधिकारी

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
क्र.-241—री.—एसडीओ.—ट्रस्ट—2022

अनूपपुर, दिनांक 23 मार्च 2022

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(2) एवं पब्लिक ट्रस्ट नियम
1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत)

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनूपपुर, जिला —अनूपपुर (म.प्र.)

—00—

जैसा कि जय शम्भूदेव सेवा संस्थान आरापाठ धाम छिल्पा, तहसील व जिला—अनूपपुर (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा —4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदनपत्र मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 04 मई 2022 को विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के माध्यम से या अधिवक्ता के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

- 1.ट्रस्ट का नाम — जय शम्भूदेव सेवा संस्थान आरापाठ धाम छिल्पा
पता—ग्राम छिल्पा, पोर्ट छिल्पा, थाना भालूमाडा, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
- 2.अचल सम्पत्ति— ग्राम छिल्पा की आ.नं.2528/1 रकवा 0.234हे. का अंश रकवा 0.020हे.

कमलेश पुरी, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार,

(G-1305)

**न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, सागर, मध्यप्रदेश
तहसील व जिला सागर**

क्र.-2875-री.-3-अ.वि.आ.-2021

सागर, दिनांक 2 सितम्बर 2022

म०प्र० प्रारूप चार नियम 5 (1) देखिए

मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1952 का नियम 5 (1) देखिए।

चूंकि श्री सिद्ध क्षेत्र श्री देव हनुमान जी मंदिर गढ़पहरा धाम सागर जिला सागर म०प्र० प्रबंध संगठित गढ़पहरा धाम सागर द्वारा अध्यक्ष श्री अशोक सिंह बामोरा पिता श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बामोरा तहसील व जिला सागर ने म०प्र० लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोकन्यास की तरह विर्निदिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26.10.2021 को विचार के लिए लिया गया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता है और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पवन बारिया अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 26.10.2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या उक्त संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोई मैं मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता
न्यास का नाम:- श्री सिद्ध क्षेत्र श्री देव हनुमान जी मंदिर गढ़पहरा धाम सागर द्रस्ट
गढ़पहरा धाम सागर म०प्र० तहसील व जिला सागर
चल/अचल संपत्ति के ब्यौरे

अनुसूची क्रमांक-2

- 1- मुख्य मंदिर श्री देव हनुमान की मंदिर मढ़पहरा धाम प्राचीन मूर्ती/मंदिर
- 2- मुख्य प्राचीन भव्य मंदिर
- 3- दो सीड़ियों वाले मार्ग जो नीचे से लगातार मुख्य मंदिर तक जिसमें एक पर टीनसेट से डका हुआ मार्ग।

4— मंदिर का कबर केम्पस स्टील एवं लोहे की रेंलिंग से ।

5— बादयंत्र अखाडा सामग्री ।

अनुसूची क्रमांक—3

1— मंदिर अनगढ़ देवी माता मंदिर—1

2— मंदिर हरसिद्धी माता मंदिर—1

3— मंदिर नीचे हनुमान जी मंदिर—1

4— मंदिर शिवजी मंदिर—1

अनुसूची क्रमांक—4

मंदिर की स्थाई/अचल सम्पत्तियाँ

1— मोतीताल—1

2— बावड़ी—1

3— मेला परिसर क्षेत्र—1

4— सुलभ शौचालय—1

5— नलकूप—1

6— धर्मशाला—6 (छोटी बड़ी)

7— अन्य प्राचीन इमारतें

अनुसूची क्रमांक—5

मंदिर की अन्य चल सम्पत्तियाँ का व्यौरा

1— हवन/पूजन सामग्री

2— श्री देव हनुमान जी मंदिर की मूर्ति की पोशाक

3— दानपेटी

4— दीवाल घड़ी

5— पंख्या

6— गरुण जी

7— सी०एफ०एल

8— ताला वगै.

क्र.-2876-स्टेनो-अ.वि.अ.-21

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर पिता महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बामोरा तहसील व जिला सागर द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत म0प्र०० सिद्ध क्षेत्र श्री देव हनुमान जी मंदिर गढ़पहरा धाम समिति न्यासी रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट पंजीकृत किये जाने वावत् आवेदन पेश किया है।

क्र	नाम	थाना
1	अशोक सिंह बामोरा पिता महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बामोरा थाना बहेरिया तहसील व जिला सागर	थाना बहेरिया
2	विनोद विश्वकर्मा पिता रामदास विश्वकर्मा निवासी ग्राम बहेरिया साहनी थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट
3	अनिल वैद्य पिता शिवचरण वैद्य निवासी ग्राम मसवासी बहेरिया थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट
4	मनीष यादव पिता नंदकिशोर यादव निवासी ग्राम कुडारी थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट
5	जयकुमार यादव पिता रव. माखनलाल यादव निवासी 2/30 सदर बाजार सागर थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट
6	अजय यादव पिता बद्री यादव निवासी ग्राम रिछोडा थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट
7	सोनू यादव पिता लाल साहब निवासी ग्राम गढ़पहरा मुहाल थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट
8.	जीवन सिंह पिता हुकुम सिंह यादव निवासी ग्राम भोजपुरा थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट
9	हीरा यादव पिता कुंजीलाल यादव निवासी ग्राम रानीपुरा थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट
10	महेन्द्र यादव पिता रामचरण यादव निवासी ग्राम गढ़ौली कलौ थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट
11	राजकिशोर सिंह पिता रामसींग ठाकुर निवासी ग्राम सुमरेडी थाना राहतगढ तहसील राहतगढ जिला सागर	थाना राहतगढ
12	हरदास कुर्मी पिता श्याम लाल कुर्मी निवासी ग्राम रूपऊ थाना नरयावली तहसील राहतगढ जिला सागर	थाना नरयावली
13	सुरेन्द्र सिंह राजपूत पिता नथ्यूसिंह निवासी ग्राम बामोरा थाना बहेरिया तहसील व जिला सागर	थाना बहेरिया
14	महेश साहू पिता गिरधारी साहू निवासी महेश दाल मिल मोतीनगर वार्ड थाना मोतीनगर तहसील व जिला सागर	थाना मोतीनगर
15	राजबिहारी पिता सीताराम ठाकुर निवासी ग्राम बामोरा थाना बहेरिया तहसील व जिला सागर	थाना बहेरिया
16	विकास यादव पिता फूलसिंह यादव निवासी ग्राम गढ़पहरा मुहाल थाना केन्ट तहसील व जिला सागर	थाना केन्ट

उपरोक्त अंकित समस्त द्रस्टी सदस्यों का चरित्र सत्यापन कर इस न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करे।

(G-1306)

पवन बारिया, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

**कार्यालय, पंजीयक एवं लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोठीमहल, जिला
उज्जैन, मध्यप्रदेश**

प्र.क्र.-180-बी-113-2021-22

उज्जैन, दिनांक 21 मार्च 2022

प्रारूप चार
(नियम-5) 1 (देखिए)
सूचना पत्र

मध्य प्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1959(1951 का 30) की धारा की उपलब्ध (2) मध्य प्रदेश लोक
न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए।

पंजीयक,
लोकन्यास,
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक नजर चेरिटेबल ट्रस्ट निवासी 117, सिंधी कॉलोनी, सांवेर रोड, उज्जैन ने लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 (की धारा-4 के अधीन अनुसूची मे लोक न्यास की तरह प्रारूप फार्म 111, रुल4(2) के अधीन सार्वजनिक न्यास पंजीयन हेतु आवेदन किया है । एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10.03.22 को प्रातः 11 बजे स्थान कोठी पेलैस उज्जैन का विचार के लिये लिया गया ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है ।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10.03.2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 1 द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची:-

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:- नजर चेरिटेबल ट्रस्ट निवासी 117, सिंधी कॉलोनी, सांवेर रोड, उज्जैन

कार्यालय:- 117, सिंधी कॉलोनी, सांवेर रोड, उज्जैन

अचल संपत्ति :- निर्देशक

चल संपत्ति:- 786।-

जगदीश मेहरा, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

क्र. परि-2022-क्यू

बड़वानी, दिनांक 4 जुलाई 2022

:: सूचना पत्र ::

म.प्र.सहकारी संस्थाएँ नियम 1962 के नियम 57 सी/ग के अंतर्गत

सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता जिला बड़वानी के द्वारा म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.पिपल्याडेब	103 / 09.06.2003	740 / 18.05.2022
2	श्री सांई साख सहकारी संस्था मर्या.पानसेमल	518 / 05.08.2016	756 / 18.05.2022
3	प्रगति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.राजपुर	400 / 21.11.2014	739 / 18.05.2022
4.	श्रीराम औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.पानसेमल	225 / 18.02.2011	755 / 18.05.2022
5.	श्री दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.मेन्द्रणा	309 / 11.06.2012	753 / 18.05.2022
6.	अटल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.पानसेमल जुनापानी	15 / 14.12.2000	754 / 18.05.2022

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/प्रबंधक से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार मुझे नहीं प्राप्त हुआ है।

अतः म.प्र.सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त

पूर्वकार्यों को एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता जिला बड़वानी कार्यालयीन दिवस में उपरिथित होकर लिखित रूप से सहप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि कि दशा में साहूकरण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे, यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसके बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेय मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेलस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी कि द्वारा जानबुझकर, आस्तियों या अभिलेख रेकार्ड नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसुलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्ष के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

सूचना आज दिनांक 04.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राधेश्याम चौहान, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक,

(G-1308)

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022—आषाढ़ 31, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)